

एक अभियुक्त गांजा सहित गिरफ्तार- थाना लोनी पुलिस द्वारा नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए एक अभियुक्त सन्नी शर्मा पुत्र अनिल शर्मा नि० अंसार विहार थाना लोनी जिला गाजियाबाद को 2 किलो 200 ग्राम गांजा के साथ खाली मैदान अंसार बिहार से दिनांक 12.11.2020 गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्ता:-

सन्नी शर्मा पुत्र अनिल शर्मा नि० अंसार विहार थाना लोनी जिला गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण अभियुक्त कलीम-

मु०अ०सं०-969/2020 धारा 8/20 NDPS Act थाना लोनी गा०बाद

मु०अ०सं०-393/2020 धारा 8/20 NDPS Act थाना लोनी गा०बाद

मु०अ०सं०-1128/2016 धारा 392/411 भादवि थाना लोनी गा०बाद

बरामदगी का विवरण:-

1. 2 किलो 200 ग्राम गांजा नाजायज बरामद



मु०अ०सं०-326/2020 धारा 18/22 एनडीपीएस एक्ट में 01 अभियुक्त गिरफ्तार- थाना निवाड़ी पुलिस ने दिनांक 12.11.2020 को समय 20:10 बजे पैंगा चौराहा नवनिर्मित दुकान के सामने से 01 कि० 200 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु०अ०सं०-326/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना निवाड़ी जनपद गाजियाबाद पंजीकृत है।

अपराध करने का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से गांजा विक्रय कर अवैध रूप से धनोपार्जन करना।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1- अनुज पुत्र जगपाल निवासी इन्दिरापुरी कस्बा व थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद वांछित अभियुक्तगण-
कोई वांछित नहीं है।

बरामदगी का विवरण:-

1- 01 कि० 200 ग्राम गांजा बरामद किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1-मु०अ०सं०-326/2020 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना निवाडी गाजियाबाद



31 पक्के देशी शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार - थाना निवाडी

पुलिस ने दिनांक 12.11.2020 को समय 15:10 बजे अबूपुर गेट के पास एन०एच० 58 से अभियुक्त 1-हासिम को एक प्लास्टिक के कट्टे में 31 पक्के देशी शराब मिस इण्डिया के साथ गिरफ्तार किया गया है।

इस सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु०अ०सं०-325/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

अपराध करने का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा अवैध शराब कम कीमत पर लाकर अधिक दाम में बेचकर धन अर्जित करना।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1-हासिम पुत्र हनीफ निवासी तेलियों वाला मौहल्ला सरना वाली गली कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:-

1-एक प्लास्टिक के कट्टे में 31 पक्के देशी शराब मिस इण्डिया

पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

1-मु०अ०सं०-325/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना निवाडी गाजियाबाद



थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 1 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से अवैध 56 ग्राम नशीला

पाउडर अल्प्राजोलम बरामद-थाना साहिबाबाद पुलिस ने दिनांक: 13.11.2020 को कृष्णा जूस कार्नर के पास 80 फुटा रोड शालीमार गार्डन थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से **अभि0 आसिफ पुत्र अउवल नि0 डी ब्लाक नई सीमापुरी दिल्ली उम्र 19 वर्ष** को अवैध 56 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम सहित गिरफ्तार किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभि0 आसिफ उपरोक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मैं यह नशीला पाउडर अल्प्राजोलम बेचकर खर्चा चलाता हूँ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अभि0 आसिफ पुत्र अउवल नि0 डी ब्लाक नई सीमापुरी दिल्ली उम्र 19 वर्ष

पंजीकृत अभियोगो का विवरण:-

1. मु0अ0स0 1354/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना साहिबाबाद बनाम **आसिफ** उपरोक्त

बरामदगी का विवरण:-

56 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम



थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा 10 बोरे प्रतिबन्धित आतिशबाजी/पटाखे बरामद एक अभियुक्त

गिरफ्तार - थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा दिनांक 13.11.2020 को शुक्रबाजार रोड भौवापुर से एक नफर अभियुक्त आकाश पुत्र राजवीर नि0 दुर्गा मन्दिर के पास भौवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद मय 10 बोरे भिन्न-भिन्न प्रकार के आतिशबाजी/पटाखों सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गण उपरोक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

अपराध कारित करने का तरीका-

एनसीआर क्षेत्र में प्रतिबन्धित आतिशबाजी/पटाखों को बेचकर धन अर्जित करना ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

आकाश कौशिक पुत्र राजवीर कौशिक नि० दुर्गा मन्दिर के पास भौवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण -

10 अदद बोरे जिसमें भिन्न-भिन्न प्रकार की आतिशबाजी/पटाखे

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का विवरण -

मु०अ०सं० 579/20 धारा 9B(2) विस्फोटक अधिनियम थाना कौशाम्बी गा०बाद

व अन्य अपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है।



थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्तगण गिरफ्तार तथा 01 किलो 200

ग्राम गांजा बरामद- थाना ट्रोनिकासिटी पुलिस द्वारा दिनांक 13.11.20 को खानपुर शमशान घाट के पास से समय 9.35 वजे सुवह अभियुक्त 1. सोनू कुमार पुत्र महेश राय नि० हाल पता बी - 139 सकूरपुर थाना सुभाष पैलेस दिल्ली मूल पता ग्राम कोला थाना कुसेसर जिला दरभंगा बिहार के कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम गांजा नाजायज बरामद गिरफ्तार किया गया । जिसका थाना हाजा पर अ०सं० 666/20 धारा 08/20 एन डी पी एस एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी पर पंजीकृत किया गया।

अपराध का तरीका-

अभियुक्त गांजे की तस्करी करता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त/ आपराधिक इतिहास -

1. सोनू कुमार पुत्र महेश राय नि० हाल पता बी - 139 सकूरपुर थाना सुभाष पैलेस दिल्ली मूल पता ग्राम कोला थाना कुसेसर जिला दरभंगा बिहार

बरामदगी का विवरण -

1. 1 किलो 200 ग्राम गांजा अभियुक्त सोनू कुमार उपरोक्त



थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 02 नफर अभियुक्तगण गिरफ्तार कब्जे से कुल 48 पौन्डे देशी शराब व 8 लीटर अपमिश्रित शराब हरियाणा मार्का नाजायाज बरामद - थाना ट्रोनिकासिटी पुलिस

द्वारा दिनांक 13.11.20 को खानपुर शमशान घाट के पास से समय 9.35 वजे सुवह अभियुक्त 1. राजन कुमार पुत्र सोने लाल शाह नि0 हाल पता रवि का मकान पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी गा0वाद मूल पता भूभैरो थाना डूमरा जिला सितामढी बिहार से 22 पव्वे देसी शराब हरियाणा मार्का 15 पव्वे काली व 3.5 लीटर अपमिश्रित शराब 2. बिजेन्द्र सिंह पुत्र रोहन निवासी निशान्त कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद मूल पता मजीदपुर था रहुई जिला नालन्दा बिहार को 26 पौव्वा देशी शराब हरियाणा मार्का नाजायज 14 पव्वे काली व 4.5 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद के गिरफ्तार किया गया । जिसका थाना हाजा पर अ0सं0 667/20 , 668/20 धारा 60/63/ आब0 अधि0 272/273 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी पर पंजीकृत किया गया।

अपराध का तरीका-

अभियुक्त द्वारा हरियाणा प्रदेश से अवैध शराव की तस्करी करके यहां लाकर मंहगे दामों पर बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त/ आपराधिक इतिहास -

1. राजन कुमार पुत्र सोने लाल शाह नि0 हाल पता रवि का मकान पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी गा0वाद मूल पता भूभैरो थाना डूमरा जिला सितामढी बिहार

मु0अ0सं0 667/20 धारा 60/63 आब0 अधि0 व धारा 272/273 भा0 द0 वि0

2. बिजेन्द्र सिंह पुत्र रोहन निवासी निशान्त कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद मूल पता मजीदपुर था रहुई जिला नालन्दा बिहार मु0अ0सं0- 668/20 धारा 60/63 आब0 अधि0 व धारा 272/273 भा0 द0 वि0

बरामदगी का विवरण -

1. 22 पौव्वा देशी शराब हरियाणा मार्का नाजायज 15 पौव्वे खाली 3.5 लीटर अपमिश्रित शराब अभियुक्त राजन कुमार उपरोक्त

3. 26 पौव्वा शराब हरियाणा मार्का नाजायज 14 पौव्वे खाली 4.5 लीटर अपमिश्रित शराब अभियुक्त बिजेन्द्र सिंह उपरोक्त



चैकिंग अभियान के दौरान 03 बोरे अवैध आतिशबाजी पटाखे कीमत करीब 1 लाख रु0 के बरामद होना

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा वाहन चोर/लुटेरों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक सिहानी गेट श्री कृष्ण गोपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में चैकिंग के दौरान थाना सिहानी गेट पुलिस कर्मी द्वारा दि0 13/11/20 को मुखबिर की सूचना पर अभि0 को उसकी दुकान से मय उसके 03 बोरे अवैध पटाखे (दीपावली के पटाखे) कीमत करीब 1 लाख रु0 सहित गिरफ्तार किया गया ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

दिनांक 12/13.11.20 को चैकिंग अभियान के दौरान दयानन्दनगर मे मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि राकेश मार्ग पर राजस्थान जनरल स्टोर का स्वामी दिपांशु गुप्ता चोरी छिपे दीपावली के पटाखे बेच रहा है । कोई जन/धन हानी हो सकती है सूचना पर विश्वास कर दुकान से अभि0 को मय 03 बोरे अवैध पटाखे (दीपावली के पटाखे सहित 02.20 बजे गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता अभियुक्त-

दिपांशु गुप्ता पुत्र श्री रजनीकान्त गुप्ता नि0 म0न0 156 पंचवटी कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0स0 1821/20 धारा 9B(1)b विस्फोटक अधि0 1884 थाना सिहानीगेट गा0बाद

बरामदगी

03 बोरे अवैध पटाखे करीब 1 लाख रु0 के बरामद होना



चैकिंग अभियान के दौरान 80 कार्टून अवैध पटाखे जिसमें खतरनाक विस्फोटक पटाखे (दीपावली के पटाखे) करीब 7 लाख रु0 के बरामद होना

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा वाहन चोर/लुटेरों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक सिहानी गेट श्री कृष्ण गोपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में चैकिंग के दौरान थाना सिहानी गेट पुलिस कर्मी द्वारा दि0 12/11/20 को मुखबिर की सूचना पर अभि0 को किराये के गोदाम से मय उसके 80कार्टून अवैध पटाखे (दीपावली के पटाखे) कीमत करीब 7 लाख रु0 सहित गिरफ्तार किया गया ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

दिनांक 12/11/20 को चैकिंग अभियान के सिहानी गाँव मोड पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सिहानी गाँव मे ब्रह्मदत्त त्यागी के गोदाम मे किरायेदार सुमित कंसल पुत्र श्री अशोक कंसल नि0 बृहमदत्त त्यागी के गोदाम में किरायेदार मूल निवासी सीएल-199 पल्लवपुरम फेश I मोदीपुरम थाना मोदीपुरम जनपद मेरठ दीपावली के पटाखे विक्रय हेतू रखे हुए है कोई जन/धन हानी हो सकती है सूचना पर विश्वास कर जाकर देखा तो कुरकुरे के गोदाम मे कार्टून पर 1 व्यक्ति बैठा है नाम पता पूछा तो सुमित कंसल उपरोक्त बताया कार्टून को खोलकर देखा तो दीपावली के पटाखे बम,अनार,बुलेट,चखरी आदी भरे है अभि0 को मय 80 कार्टून गत्ता के अवैध पटाखे (दीपावली के पटाखे सहित 20.30 बजे गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता अभियुक्त-

सुमित कंसल पुत्र श्री अशोक कंसल नि0 बृहमदत्त त्यागी के गोदाम में किरायेदार मूल निवासी सीएल-199 पल्लवपुरम फेश I मोदीपुरम थाना मोदीपुरम जनपद मेरठ

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0स0 1818/20 धारा 9B(1)b विस्फोटक अधि0 1884 थाना सिहानीगेट गा0बाद

बरामदगी

80 कार्टून गत्ता के अवैध पटाखे (दीपावली के पटाखे) करीब 7 लाख रु0 के बरामद होना

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया जिसके गोदाम से कुल 32 पेटे व 16 पैकेट अवैध आतिशबाजी बरामद

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में वाँछित/वारण्टी/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री अभिषेक वर्मा के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री अभय कुमार मिश्र महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री संदीप कुमार सिंह की टीम द्वारा दिनांक: 13/11/2020 को मुखविर खास की सूचना पर अभियुक्त कुलदीप को गिरफ्तार किया गया है। जिसके गोदाम से कुल 32 पेटे व 16 पैकेट अवैध आतिशबाजी बरामद हुयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 741/2020 धारा 9(ख)(1)(ख) विस्फोटक अधि0 पँजीकृत है।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि साहब मैं यह पटाखा दीपावली त्यौहार में बेचने के लिए अपने इस गोदाम में रखे थे। चोरी छिपे ग्राहको के बेचते थे। मुझसे गलती हो गयी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

कुलदीप सिंह पुत्र तेजपाल सिंह निवासी म0नं0 381 जटवाडा थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त दिलशाद उपरोक्त-

1. मु/741 0सं0अ02020 धारा 9(ख)(1) 0विस्फोटक अधि (ख)(थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद

